जीएसटी: परिवर्तन का वाहक

डी एस मलिक

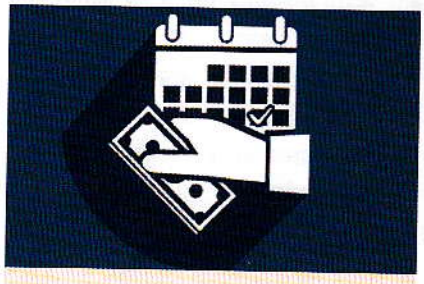

अब जीएसटी के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में किसी भी प्रकार की शंका/भ्रम एवं संदेह दूर करने के लिए हितधारकों तथा आम जनता को जागरूक बनाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने पर मुख्य जोर रहेगा। छोटे कारोबारियों एवं व्यापारियों को जीएसटी तथा उससे संबंधित विधानों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और यह भी समझाना होगा कि उन्हें कर रिटर्न ऑनलाइन कैसे दाखिल करना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कैसे करना है। सरकार अप्रत्यक्ष कर के इस बड़े सुधार को 1 जुलाई, 2017 से लागू करने के लिए अब पूरी तरह कृतसंकल्प तथा आशान्वित है

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का बीज 28 फरवरी, 2006 के ऐतिहासिक बजट भाषण में बोया गया, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री ने देश में जीएसटी लागू करने के लिए 1 अप्रैल, 2010 का दिन निर्धारित किया। उसके बाद से देश में जीएसटी लागू करने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं, जिनकी परिणति 122वें संविधान संशोधन का विधेयक पेश होने के साथ दिसंबर, 2014 में हुई है।

जीएसटी क्यों?

आम बहसों में यह बात हमेशा सुनायी पड़ती है कि जीएसटी लागू करने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर के वर्तमान ढांचे को समझना आवश्यक है। फिलहाल केंद्र सरकार विनिर्माण पर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), सेवाओं की आपूर्ति पर (सेवा कर), दो राज्यों के बीच वस्तुओं की बिक्री पर (केंद्र द्वारा लगाये जाने वाले केंद्रीय बिक्री कर को इकट्ठा करके राज्य अपने पास रखते हैं) और राज्य सरकार खुदरा बिक्री पर (वैट) तथा राज्य में वस्तुओं के प्रवेश पर (प्रवेश कर) कर लगाती है। साथ ही विलासिता कर और खरीद कर आदि भी लगाए जाते हैं। यह स्पष्ट है कि एक ही आपूर्ति श्रृंखला पर विभिन्न प्रकार के कर लगाये जा रहे हैं।

इससे उपभोक्ताओं पर करों का कई गुना बोझ पड़ता है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा वसूले गये करों को राज्य सरकार द्वारा वसूले गये करों के एवज में माफ नहीं किया जाता। यहां तक कि राज्य सरकारें जिन निर्धारित करों को वसूलती हैं, उन्हें वसूले जाने वाले अन्य करों के भुगतान के बदले माफ नहीं करती। इसके अलावा देश में वैट के विविध कानून, कर की दरों में विषमताएं और कर की अलग-अलग प्रणालियां देश को अलग-अलग आर्थिक दायरों में बांट देती हैं। चुंगी, प्रवेश कर, चेक चौकियों जैसे शुल्क एवं गैर-शुल्क अवरोध बनाने से देशभर में व्यापार के मुक्त प्रवाह में रोड़े आते हैं। इसके अलावा करों की भारी संख्या करदाताओं के लिए बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि ढेर सारे रिटर्न, भुगतान आदि करने पड़ते हैं।

क्या है जीएसटी?

पहले बताये गये सभी अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कहलाने वाले इकलौते कर में मिला देने का प्रस्ताव है, जो कर विनिर्माण अथवा आयात से शुरू होने वाली और खुदरा के अंतिम स्तर तक जाने वाली आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर वसूला जाएगा। इसलिए वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर अभी केंद्र अथवा राज्य सरकारें जो भी कर लगाती हैं, वे कर जीएसटी में समा जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार जीएसटी दोहरा कर होगा, जिसमें केंद्र सरकार केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) लगाएगी और वसूलेगी तथा राज्य सरकारें राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लगाएगीं और वसूलेगीं। केंद्र दो राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) भी लगाएगा और वसूलेगा। इस तरह जीएसटी करों का एकीकरण करने वाला है, जो फिलहाल केंद्र तथा राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को मिला देगा और देश के आर्थिक

लेखक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं तथा वित्त एवं कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए मीडिया एवं प्रचार के प्रभारी हैं। ईमेल: dprfinance@gmail.com

एकीकरण को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगा।

इस कर सुधार से एकल राष्ट्रीय बाजार, समान कर आधार एवं केंद्र तथा राज्यों के लिए समान कर कानूनों का सृजन होगा। जीएसटी इस बात का उदाहरण है कि हमारे संविधान में निर्धारित किया गया सरकार का संघीय ढांचा वास्तव में जमीनी स्तर पर किस तरह आजमाया जा सकता है।

जीएसटी की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि आपूर्ति के प्रत्येक चरण में आपूर्ति के पिछले चरण के दौरान दिये गये कर के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इससे भारी भरकम अथवा दोहरे कराधान से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। कर में इस सुधार को सूचना प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क अथवा जीएसटीएन) के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कर के बोझ में अत्यधिक पारदर्शिता आयेगी, केंद्र तथा राज्य के कर प्रशासनों में जवाबदेही आयेगी और करदाताओं को कम खर्च पर अनुपालन के स्तर बढ़ाने में मदद भी मिल जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि जीएसटी लागू होने से आर्थिक वृद्धि को तुरंत गति मिलेगी और इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर में 1 से 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

जीएसटी से केंद्र को लाभ

- भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में सहायक होगा, जिससे विदेशी निवेश और *मेक इन इंडिया* अभियान को बल मिलेगा।
- करों का बोझ कम होगा क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में *इनपुट टैक्स क्रेडिट* मिल जाएगा।
- सभी राज्यों में केंद्र तथा राज्य के बीच कर कानूनों, प्रक्रियाओं एवं दरों में तालमेल स्थापित होगा।
- अनुपालन में तेजी आयेगी क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाएंगे, इनपुट क्रेडिट का सत्यापन भी ऑनलाइन होगा और आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक पड़ाव पर हुए लेनदेन का कागजी प्रमाण रखा जाएगा।
- एसजीएसटी और आईजीएसटी की समान दरें होने से पड़ोसी राज्यों के बीच दरों का अंतर नहीं रहेगा और राज्यों के भीतर एवं बाहर बिक्री करने में भी दरों का अंतर नहीं रहेगा, जिससे कर चोरी करने का कोई लाभ नहीं होगा।
- करदाताओं के पंजीकरण और करों की वापसी (रिफंड) की एक समान प्रक्रिया, कर रिटर्न के एक समान प्रारूप, एक समान कर आधार, वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्गीकरण की साझा व्यवस्था से कराधान प्रणाली में अधिक निश्चिंतता आयेगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग से करदाता एवं कर अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क कम हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम करने में बहुत मदद मिलेगी।

कर में इस सुधार को सूचना प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क अथवा जीएसटीएन) के जरिये सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कर के बोझ में अत्यधिक पारदर्शिता आयेगी, केंद्र तथा राज्य के कर प्रशासनों में जवाबदेही आयेगी और करदाताओं को कम खर्च पर अनुपालन के स्तर बढ़ाने में मदद भी मिल जाएगी।

- इससे निर्यात एवं विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, अधिक रोजगार का सृजन होगा और इस प्रकार लाभप्रद रोजगार के साथ जीडीपी में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक वृद्धि भी तेज होगी।
- अंततः अधिक रोजगार एवं अधिक वित्तीय संसाधनों के सृजन द्वारा इससे गरीबी दूर करने में सहायता होगी।

व्यापार एवं उद्योग को लाभ

- कम छूट के साथ अधिक सरल कर प्रणाली।
- हमारी वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में होने वाले करों के दोहराव में कमी, जिससे सरलीकरण होगा और समानता आयेगी।
- काम के अनुबंध, सॉफ्टवेयर, आतिथ्य जैसे कुछ निश्चित क्षेत्रों में दोहरे कराधान की समाप्ति।
- करों का बोझ कम होगा क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में *इनपुट टैक्स क्रेडिट* मिल जाएगा। अनुपालन का खर्च कम होगा।
- विभिन्न प्रकार के करों के लिए अनेक रिकॉर्ड नहीं रखने होंगे।
- रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए संसाधनों तथा कर्मचारियों में कम निवेश करना होगा।
- करों, विशेषकर निर्यात पर लगने वाले करों को बेहतर ढंग से निष्प्रभावी किया जाएगा, जिससे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो जाएंगे और भारत से होने वाले निर्यात को बल मिलेगा।
- पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सरल एवं स्वचालित प्रक्रियाएं।
- वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर औसत कर बोझ घटने की अपेक्षा, जिससे खपत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे भारत में औद्योगिक विनिर्माण को बढ़त मिलेगी।

उपभोक्ताओं को लाभ

- विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के बीच *इनपुट टैक्स क्रेडिट* के निर्बाध प्रवाह के कारण वस्तुओं का अंतिम मूल्य पारदर्शी रहने की संभावना है। ढेर सारे कर नहीं लगने के कारण भविष्य में जींसो तथा वस्तुओं के मूल्य में कमी आयेगी।
- छोटे खुदरा विक्रेताओं के अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को या तो कर से छूट मिल जाएगी अथवा एक विशेष योजना के अंतर्गत उन पर कर की दर बहुत कम होगी, जिससे उनसे खरीददारी करना उपभोक्ताओं के लिए सस्ता पड़ेगा।
- अधिक रोजगार एवं अधिक वित्तीय संसाधन तैयार होने से गरीबी दूर होगी।

राज्यों को लाभ

- कर आधार में विस्तार होगा क्योंकि राज्य विनिर्माण से लेकर खुदरा तक पूरी आपूर्ति शृंखला से कर वसूल सकेंगे।
- अभी तक केंद्र सरकार ही सेवाओं पर

कर वसूलती थी, लेकिन अब इसका अधिकार राज्यों को भी मिलने से राजस्व में वृद्धि होगी और राज्यों को अर्थव्यवस्था के इस सबसे तेज विकास कर रहे क्षेत्र का उपयोग करने का अवसर मिल जाएगा।

- जीएसटी गंतव्य (अंतिम बाजार) पर आधारित उपभोग कर है, जिसका लाभ उपभोग करने वाले राज्यों को मिलेगा।
- देश में निवेश का समूचा वातावरण सुधरेगा, जिसका स्वाभाविक लाभ राज्यों को विकास के रूप में प्राप्त होगा।
- एसजीएसटी और आईजीएसटी की समान दरें होने से पड़ोसी राज्यों के बीच दरों का अंतर नहीं रहेगा और राज्यों के भीतर एवं बाहर बिक्री करने में भी दरों का अंतर नहीं रहेगा, जिससे कर चोरी करने का कोई लाभ नहीं होगा।
- अनुपालन का स्तर बढ़ने से राज्यों के राजस्व संग्रह में होने वाली वृद्धि में करदाताओं का भी अच्छा योगदान रहेगा।

वर्तमान स्थिति

- इस ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार को लागू करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक (122वां संशोधन) लाया गया और उसे 3 अगस्त, 2016 को राज्यसभा एवं 8 अगस्त, 2016 को लोकसभा ने पारित कर दिया।
- उपरोक्त विधेयक को 15 से अधिक राज्यों ने भी अनुमोदित कर दिया और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को संविधान संशोधन (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 को मंजूरी दे दी।
- उसके बाद से जीएसटी परिषद को संवैधानिक निकाय बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जो जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी।
- भारत सरकार ने 16 सितंबर, 2016 को एक अधिसूचना जारी कर उपरोक्त विधेयक की सभी धाराओं को लागू कर दिया, जिससे जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो गयी। अधिसूचना में जीएसटी को लागू करने के लिए एक वर्ष तक की अर्थात् 15 सितंबर, 2017 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

जीएसटी परिषद की बैठकें

संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक के अंतर्गत निर्णय करने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषद ने अपने गठन के बाद से 13 बार बैठक की हैं और परिषद की विभिन्न बैठकों में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं:

- जीएसटी परिषद में कार्रवाई के नियम।
- जीएसटी के क्रियान्वयन की समय सारणी।
- 20 लाख रुपये तक के कारोबार पर राज्य जीएसटी नहीं लगाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 279ए में बताये गये विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपये तक के कारोबार पर जीएसटी नहीं लगेगा।
- कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए 50 लाख रुपये की सीमा होगी। सेवा प्रदाताओं एवं कुछ अन्य को कंपोजिशन योजना से बाहर रखा जाएगा। जीएसटी के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि का मुआवजा 5 वर्ष तक देने के लिए राज्यों के राजस्व का आधार वर्ष 2015-16 होगा और उसमें प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत वृद्धि मानी जाएगी।
- पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड, बिल एवं डेबिट/क्रेडिट नोट आदि पर जीएसटी नियमों के मसौदे को यह मानते हुए मंजूरी मिल गयी कि हितधारकों अथवा विधि विभाग की उचित सलाह के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से मामूली परिवर्तन किये जा सकेंगे।
- अभी लागू किसी भी कर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर से छूट पा रही सभी इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था में कर चुकाना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन योजना जारी रखने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार लेगी। यदि राज्य अथवा केंद्र सरकार किसी वर्तमान छूट/प्रोत्साहन योजना को जारी रखने का निर्णय लेती है तो उसे प्रतिपूर्ति प्रणाली के तहत संचालित किया जाएगा।
- कर की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत निर्धारित की गयी हैं। उनके अतिरिक्त छूट वाली वस्तुओं की एक श्रेणी होगी और लग्जरी कार, एयरेटेड पेय, पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों जैसी कुछ वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की अधिकतम जीएसटी दर के बाद उपकर भी लगाया जाएगा।
- लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्यसभा ने 6 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक, 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक, 2017, केंद्र शासित प्रदेश (विधान मंडल से रहित) वस्तु एवं सेवा कर (यूटी जीएसटी) विधेयक, 2017 तथा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017 पारित कर दिये हैं। जीएसटी परिषद ने 31 मार्च, 2017 को निम्नलिखित जीएसटी नियमों के मसौदों को मंजूरी दे दी है और अब उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है।
  - पंजीकरण के नियम।
  - रिटर्न के नियम।
  - बिल (बीजक) संबंधी नियम।
  - भुगतान के नियम।
  - रिफंड के नियम।
  - इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम।
  - मूल्यांकन (वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण) के नियम।
  - परिवर्ती (बीच की अवधि के लिए) नियम।
  - कंपोजिशन के नियम।

जीएसटी के क्रियान्वयन की राह में निम्नलिखित चुनौतियां हैं

- 1 जुलाई, 2017 तक जीएसटी लागू करने की अवधि बहुत चुनौतीपूर्ण है।
- राज्य विधानमंडलों द्वारा मसौदा कानूनों को मंजूरी।
- विशेषकर राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा एवं कर प्रणाली का तकनीकी उन्नयन।
- व्यापार एवं उद्योग के लिए आईटी प्रणाली का उन्नयन। ❑